

विषय : केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा तैयार उत्पादों तथा दी जा रही सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के लिए दिशानिर्देश।

पृष्ठभूमि :

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2010/आरएस(जी)363/1 दिनांक 05.07.2012 के संदर्भ सहित जिसके साथ अधिसूचना संख्या 503 दिनांक 23.03.2012 अग्रेषित की गई है और जैसाकि भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है और जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा तैयार उत्पादों तथा दी जा रही सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के लिए दिशानिर्देश वर्णित है। इन दिशानिर्देशों की प्रति संलग्न है।

इस नीति के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वित्तीय वर्ष 2012-13 और इसके आगामी वर्षों के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से अधिप्राप्ति हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा ताकि कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20% की समग्र अधिप्राप्ति द्वारा तैयार उत्पादों और दी जा रही सेवाओं से करने का लक्ष्य तीन वर्ष की अवधि में प्राप्त किया जा सके। सूक्ष्म और लघु उद्योगों से वार्षिक अधिप्राप्ति के 20% लक्ष्य में से 20% का उप लक्ष्य (अर्थात् 20% का 20%, 4%) उन सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है जिनका स्वामित्व अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाले उद्यमियों के पास है। इस नीति को लागू करने के लिए 2012-13 से लेकर तीन वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके बाद दिनांक 01.04.2015 से यह नीति अनिवार्य हो जाएगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा :

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1152 दिनांक 30.09.2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की श्रेणी का आधार निम्नलिखित है :

विनिर्माण उद्यम हेतु :

- क) एक सूक्ष्म उद्यम होगा यदि संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक न हो।
- ख) एक लघु उद्यम होगा यदि संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश 25 लाख रुपए से अधिक हो किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो।
- ग) एक मध्यम उद्यम होगा यदि संयंत्र और मशीनरी पर निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

सेवा उद्यम हेतु :

- क) एक सूक्ष्म उद्यम होगा, यदि उपकरणों पर निवेश 10 लाख रुपए से अधिक न हो।
- ख) एक लघु उद्यम होगा यदि उपकरणों पर निवेश 10 लाख रुपए से अधिक हो किंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो।
- ग) एक मध्यम उद्यम होगा यदि उपकरणों पर निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

कॉन्कॉर में कार्यान्वयन :

सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख/निगमित कार्यालय के सभी विभागाध्यक्षों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से अधिप्राप्ति हेतु इसी वित्तीय वर्ष से आगे के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना अनिवार्य है। लक्ष्य का उद्देश्य होगा कि कुल वार्षिक खरीद में से समग्र अधिप्राप्ति का न्यूनतम 20% सूक्ष्म और लघु उद्योगों द्वारा तैयार उत्पाद कोई दी जा रही सेवाओं में से आगामी तीन वर्ष में पूरा हो। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से वार्षिक अधिप्राप्ति के लक्ष्य 20% में से एक उप लक्ष्य (20% में से 4%) उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित किया गया है जिनका स्वामित्व अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाले उद्यमी के पास है। इस नीति को तीन वर्ष की सीमा अवधि में 2012-13 से शुरू करके लागू करना है जिसके बाद यह नीति 01.04.2015 से अनिवार्य हो जाएगी।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 05.07.2012 के एमएसई से उत्पाद एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु उक्त वर्णित दिशानिर्देशों का अनुपालन के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है :

- 1.1 सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर तय की जाती है जिसमें एक प्रणाली के अनुरूप उत्पाद या सेवाओं की मजबूत अधिप्राप्ति प्रक्रियाएं और क्रयादेश निष्पादन का अनुसरण होता है। यह प्रणाली निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और किफायती है।
- 1.2 यह नीति एमएसई को कुछ हित लाभों/अधिमान देने का ध्यान रखती है और सरकारी अधिप्राप्तियों में उपयुक्त वेंडरों के विकास तथा उनकी भागीदारी में वृद्धि हेतु प्रयास करती है। उन्हें ऐसे हितलाभ और अधिमान देने के उद्देश्य से एमएसई

को निम्नलिखित में से किसी एक के पास पंजीकृत होना चाहिए :

- (i) जिला औद्योगिक केंद्र
- (ii) खादी एवं ग्रामीण उद्यम आयोग
- (iii) खादी एवं ग्रामीण उद्यम बोर्ड
- (iv) कॉयर बोर्ड
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम
- (vi) हस्तकला एवं हथकरघा निदेशालय
- (vii) एमएसई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य संस्था

2. एमएसई पर सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि

- (i) सूचीबद्ध एजेंसियों के पास पंजीकृत एमएसई को निविदा दस्तावेज/कागजात मुफ्त दिए जाएं।
- (ii) निविदा हेतु मद के लिए एजेंसियों के पास पंजीकृत एमएसई को पेशगी राशि के भुगतान से छूट दी जाएगी।
- (iii) प्रतिभागी एमएसई को जिसने न्यूनतम बोलीदाता के मूल्य +15% के अंतर्गत प्राइसबैंड में संविदा दर दी है उसे मांग के एक अंश को आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। यह आपूर्ति उनकी संविदा दर को एल 1 मूल्य के समतुल्य लाकर की जाएगी। यदि एल 1 मूल्य किसी एमएसई के अलावा है और ऐसे एमएसई मिलाकर कुल संविदा मूल्य का 20% आदेश पूरा कर सकती है। निविदा/बोली दस्तावेजों में, निविदा स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के

अनुमोदन से कार्यपालक विभागाध्यक्ष एमएसई के लिए मूल्यांकन मानदंड की शर्त जोड़ने हेतु विखंडन की संभावनाओं के बारे में निर्णय लेगा।

- (iv) रेलवे बोर्ड के उक्त वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2012-13 से और इसके आगे तीन वर्षों की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा तैयार उत्पाद और दी जा रही सेवाओं में से कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20% समग्र अधिप्राप्ति लेने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। तीन वर्षों की अवधि के बाद अर्थात् 1.4.2015 से समग्र अधिप्राप्ति का न्यूनतम 20% का लक्ष्य अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त का अनुपालन करने हेतु सभी क्षेत्रीय प्रमुख/विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त का अनुपालन हो और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एमएसई के उत्पाद एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में से 20%(कुल 4%) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमी से की गई है। यदि ऐसे एमएसई निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं या निविदा आवश्यकताओं और L-1 मूल्य पर पूरा नहीं उतरते हैं तो 4% का उपलक्ष्य, जो एससी/एसटी उद्यमियों के एमएसई के लिए निर्धारित किया गया है, दूसरे एमएसई से पूरा किया जाना चाहिए।

- (v) अनुलग्नक में दी गई 358 मदों की सूची एमएसई से अधिप्राप्ति हेतु विशेषतः आरक्षित है। सूची में दी गई मदों की समीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया है जो एमएसई से अधिप्राप्त करने हेतु विशेषतः आरक्षित हैं अतः कॉन्कॉर को यह सूची बिना किसी परिवर्तन के अंगीकार करनी आवश्यक है।

वर्तमान में, एमएसई से अधिप्राप्ति हेतु ये 358 आरक्षित मदें तभी संभव हैं जब अधिप्राप्ति खुली निविदा के माध्यम से की जाए। इसलिए, जब भी अधिप्राप्ति हेतु खुली निविदा की प्रक्रिया अपनाई जाए तब यह उल्लेख कर देना चाहिए कि ये 358 मदें केवल एमएसई से विशेषतः अधिप्राप्त की जाए क्योंकि ये एमएसई से लेने हेतु सीमित की गई हैं।

चूंकि अभी इन 358 आरक्षित मदों को जारी करने हेतु वेंडर सूची के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उनसे सीमित निविदा या संविदा दर के आधार पर एमएसई से अनन्य रूप से अधिप्राप्ति की जा सके। इसलिए, जब भी इन विधियों से अधिप्राप्ति की जाए, कुछ समय के लिए कॉन्कॉर के ज्ञात स्रोतों से पहले की तरह ही अधिप्राप्ति प्रक्रिया जारी रखी जाए।

इस दौरान, एमएसएमई मंत्रालय को इन 358 आरक्षित मदों की पूर्ति करने वाले प्राधिकृत वेंडरों की सूची प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए जिसमें केवल एमएसई सम्मिलित हो ताकि इनका उपयोग सीमित संविदा/निविदा हेतु किया जा सके।

2.1 20% लक्ष्य के लिए समग्र अधिप्राप्ति की गणना करते समय, उस गणना में अधिप्राप्ति और एमएसई के उप संविदाओं को भी शामिल किया जाए जिन्हें क्रयादेश सीधे ही कॉन्कॉर ने दिया है जैसेकि

- (क) कॉन्कॉर के गैर एमएसई वेंडर के द्वारा एमएसई को दिया गया क्रयादेश एवं
- (ख) एनएसआईसी द्वारा बनाया गया एमएसई का संघ(रेलवे ईकाईयों के लिए एक वेंडर)

सभी खुली निविदाओं और अन्य विधियों(सीमित निविदा/एकल

निविदा/संविदा-दर) द्वारा दी गई संविदाओं के संबंध में यह सूचना एकत्र की जाएगी, जहां संविदा 50 लाख रुपये से अधिक है। इसके लिए घरेलू संविदाओं से घोषणा ले ली जाएगी कि उनके द्वारा प्राप्त किया गया कच्चा माल/सेवाओं का स्रोत एमएसई है जैसाकि एमएसएमई आदेश 23.03.12 के खंड 3(2) (भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 503) में वर्णित है। संविदाकारों से उक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूचना एकत्र करने हेतु उचित प्रपत्र संबंधित विभाग/क्षेत्र द्वारा तैयार किया जाएगा। यह प्रपत्र तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी एमएसई और एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई के बारे में अलग-अलग सूचना मंगाई जाए। यह सभी विभागों/क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। कॉन्कॉर के संविदाकारों को भी सलाह दी जाए कि वे संविदा पूर्ण होने पर यह सूचना देने हेतु रिकार्ड बनाएं।

3. दिशानिर्देशों के अनुसार पत्र एमएसई को हितलाभ/अधिमान देने हेतु बोली दस्तावेज में उपयुक्त शर्तें शामिल की जाए :

(क) मैनुअली प्रोसेस की गई निविदाओं में एमएसई हेतु उक्त बिंदुओं 2(i) से 2(ii) से छूट दी जाएगी।

यदि ई-टेंडर और निविदा दस्तावेज की आवश्यकतानुसार ई-टेंडरिंग पंजीकरण राशि और निविदा प्रोसेसिंग शुल्क और ईएमडी लागू हो तो एमएसई के लिए छूट दी जाएगी। 2(i) से 2(ii) में वर्णित उक्त बिंदुओं का बोली दस्तावेज में उल्लेख किया जाना चाहिए।

निविदाओं/बोली दस्तावेज में कार्यपालक विभागाध्यक्ष निविदा स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लेगा कि क्या एमएसई के लिए मूल्यांकन मानदंड हेतु 2 (iii) पर वर्णित अनुबंध को सम्मिलित करने के लिए विखंडित करना संभव है।

(ख)(i) “जो एमएसई इन हितलाभों को लेने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने प्रस्ताव से साथ एमएसएमई मंत्रालय की अधिसूचना में वर्णित नीचे दर्शायी गई किसी एजेंसी के पास एमएसई पंजीकृत होने का साक्ष्य लगाना होगा :

- (i) जिला उद्यम केंद्र
- (ii) खादी एवं ग्रामीण उद्यम आयोग
- (iii) खादी एवं ग्रामीण उद्यम बोर्ड
- (iv) कॉयर बोर्ड
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम
- (vi) हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय
- (vii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई संस्था

II. एमएसई को अपनी पंजीकरण वैधता की समाप्ति होने वाली तिथि को भी अवश्य बताना चाहिए।

उक्त (i) और (ii) को न बताने पर ऐसे प्रस्तावों पर भारत सरकार के दिनांक 23/3/2012 की एमएसई अधिसूचना में वर्णित हितलाभों हेतु विचार नहीं किया जाएगा”।

सूचना लेना/प्रतिवेदन करना

4. एमएसई नीति के अनुसार आवश्यक सूचना को प्रभावी ढंग से लेने के उद्देश्य से अपने डाटाबेस में शामिल करने हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख/निगमित कार्यालय के विभागाध्यक्ष उनके द्वारा स्वीकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की निम्नलिखित सूचना संलग्नक-II में दिए गए प्रपत्र में तत्काल एकत्र करेंगे :

(क) विक्रेता की श्रेणियां यथा :

- (i) सूक्ष्म उद्यम
- (ii) लघु उद्यम

(ख) उक्त श्रेणी को फिर निम्नलिखित श्रेणियों में उप-वर्गीकृत किया जाए:

- (i) अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाला उद्यम
- (ii) अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाला उद्यम
- (iii) उक्त दोनों श्रेणियों से अलग स्वामित्व वाला उद्यम

(ग) उस विक्रेता के लिए जो सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत होना चाहता है उस विक्रेता को ऊपरवर्णित 5(ख) में दर्शायी गई एजेंसियों में से किसी एक के पास पंजीकृत होने का दस्तावेजी साक्ष्य तथा पंजीकरण की वैधता समाप्ति की तिथि भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

5. सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख/निगमित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को एमएसई से अधिप्राप्ति के आंकड़े और रिपोर्ट लेनी चाहिए जिसमें एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से अधिप्राप्ति की कीमत अलग-अलग दर्शायी जाए और इसे निगमित कार्यालय के प्रबंध सूचना प्रणाली विभाग को भेज दें जो इन आंकड़ों को समेकित करेगा और इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक आंकड़ों के साथ रेलवे बोर्ड को भेजेगा। एमएसई से अधिप्राप्ति की कीमत में एमएसई से सीधी अधिप्राप्ति सहित एमएसई द्वारा एमएसई के उप ठेकेदारों (जैसाकि उक्त पैरा 2.1 में दर्शाया गया है) द्वारा बड़ी मात्रा के विक्रेता/एमएसई के समूह को उपठेका की कीमत भी शामिल होगी।
6. इस नीति से अभी तक अमल में लाई जा रही, यदि कोई है, लघु उद्योगों को कीमत प्राथमिकता और हितलाभों की नीति को समाप्त कर दिया गया है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों/ निगमित कार्यालय के विभागाध्यक्षों से रेलवे बोर्ड/एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उक्तवर्णित दिशानिर्देशों और इस संबंध में समय-समय पर जारी अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों/ निगमित कार्यालय के विभागाध्यक्षों को ऊपरवर्णित विवरणों सहित एमएसई से की गई सभी अधिप्राप्तियों/सेवाओं और शिकायतों (यदि कोई है) का समुचित रिकार्ड रखना आवश्यक है और उक्तवर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराना होगा।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख /निगमित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को आंकड़ों की हस्ताक्षरित प्रति के साथ एमएसई से संबंधित शिकायत/परिवाद (यदि कोई है) संलग्न प्रपत्र में एमआईएस विभाग को प्रत्येक तिमाही (तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर) अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रपत्र में समेकित करने हेतु भेजना आवश्यक है।

कार्यपालक निदेशक (प्रबंध सूचना प्रणाली) को समन्वय हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

संबंधित अधिकारी कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस नीति का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन किया जाए।

निदेशक(परियोजना एवं सेवाएं)

1. सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख
2. निगमित कार्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी एफ.एच.ई.एल.

संलग्नक यथोपरि

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

प्रबंध निदेशक

निदेशक(अंत.वि.एवं परि.)

निदेशक(वित्त)

निदेशक(आंतरिक)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति की त्रैमासिक रिपोर्ट

I. क्षेत्र/निगमित कार्यालय का विभाग

क्रम.सं.	निविदा पृछताछ सं. तथा तिथि	वस्तुओं/सेवाओं का प्रकार (खुला/लिमिटेड/सिंगल/निविदा पर)	वस्तुओं/ सेवाओं का विवरण	अनुमानित लागत(रु में)	क्या दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसई शर्तों का उल्लेख है	टिप्पणी

II. क्रय आदेश का विवरण (358 सूचीबद्ध मर्दों के अलावा खरीद अथवा सेवाओं अथवा अन्य मर्दें)

क्रम.सं.	क्रय आदेश सं. तिथि/कार्यादेश सं. तिथि	विवरण	वेंडर का नाम ^० /पता	क्या एमएसई है, यदि है तो क्या एमएसई (एससी/एसटी /अन्य)	कुल लागत(रु में)	टिप्पणी

- यदि क्रय आदेश को एमएसई और अन्य एमएसई के अलावा दूसरी फर्म को भी बांटा गया है तो इस बारे में पूरा विवरण दें।
- अप्रत्यक्ष रूप से जारी क्रय आदेशों का विवरण टिप्पणी में करें।

III. क्रय आदेश विवरण (358 सूचीबद्ध मर्दों के लिए)

क्रम.सं.	क्रय आदेश सं. व तिथि/कार्यादेश सं. व तिथि	विवरण	वेंडर का नाम ^० /पता	क्या एमएसई है, यदि है तो क्या एमएसई (एससी/एसटी /अन्य)	कुल लागत(रु में)	टिप्पणी

IV. शिकायतें/परिवाद (यदि हो तो)

V. सारांश

(क) क्षेत्र कार्यालय/विभाग में खरीद वस्तुओं/सेवाओं की कुल कीमत

(ख) एमएसई से (उपठेका मिलाकर) खरीद की गई कुल वस्तुओं और सेवाओं की कीमत

(ग) एससी/एसटी एमएसई (एससी/एसटी एमएसई के उपठेका को मिलाकर) से खरीदी गई कुल वस्तुओं और सेवाओं की कीमत

(घ) क के उपर ख का प्रतिशत

(ड) ख के उपर ग का प्रतिशत

उपर वर्णित सूचनाएं पूर्ण और एमएसई के दिशानिर्देशानुसार हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष, निगमित कार्यालय
कार्यपालक निदेशक(प्रबंध सूचनाएं प्रणाली)

लिमिटेड वेंडर/कोटेशन आदि के लिए वर्तमान अथवा पहले से पंजीकृत वेंडरों से सूचनाएं एकत्र करने का प्रारूप

I. क्षेत्र/निगमित कार्यालय का विभाग

क्रम.सं.	वेंडर का नाम व पता	श्रेणी (एमई/एसई या अन्य)	क्या एमएसई उद्यम एससी/एसटी/अन्य में स्वामित्व में है।	नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एमएसई किस एजेन्सी के साथ पंजीकृत है •	एमएसई के मामले में, पंजीकरण का प्रमाण भेजा गया अथवा नहीं भेजा गया।	पंजीकरण के समाप्त होने की तिथि
		क	ख	ग	घ	ङ

नोट : उपर वर्णित श्रेणी में क में एसएमई और एसई है तो ख, ग, घ एवं ङ में ही अपेक्षित सूचनाएं दी जाए।

- जो एमएसई इन लाभों को प्राप्त करना चाहती है, वे अपने प्रस्ताव के साथ, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित एजेंसियों से से किसी एक से पंजीकृत होने का प्रमाण अवश्य संलग्न करें।
 - (i) जिला उद्यम केंद्र
 - (ii) खादी एवं ग्राम उद्यम केंद्र
 - (iii) खादी एवं ग्राम बोर्ड
 - (iv) कॉयर बोर्ड
 - (v) राष्ट्रीय लघु उद्यम केंद्र
 - (vi) हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निदेशालय
 - (vii) अन्य कोई भी संस्था जो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट हो



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2012/चैत्र 6, 1934

No. 503]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2012/CHAITRA 6, 1934

क्र. 503/2012
अधिसूचना

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

का.आ. 581(अ).—क्योंकि, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने उत्पादों या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करेंगे;

और, प्रतिस्पर्धा के साथ सिद्धांतों, साधारण उपापन व्यवहारों पर आधारित तथा किसी प्रणाली के अनुसरण में माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए, आदेशों के निष्पादन पर आधारित सार्वजनिक उपापन नीति, स्पष्ट, साम्यपूर्ण, पारदर्शी प्रतियोगी और मूल्य प्रभावी होगी; और

और सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति मजबूत अधिप्राप्ति व्यवहारों और आदेशों का पालन करते हुए आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के केंद्रीय सिद्धांतों और एक निष्पक्ष, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के क्रियान्वयन पर आधारित है;

और चूंकि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास सुकर बनाने करने के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार समय-समय पर यथास्थिति, आदेश द्वारा अपने मंत्रालयों या विभागों, पब्लिक सेक्टर अधिमानी, या उसके सहायता प्राप्त संस्थानों और यथास्थिति, के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में अधिमानी नीतियों को अधिसूचित कर सकेगी।

अतः, अब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अपने मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में सार्वजनिक उपापन नीति (जिसे इसमें इसके पश्चात कहा गया है) को अधिसूचित करती है।

2. संक्षिप्त नाम और आरंभ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश, 2012' है।

(2) ये 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी।

3. सूक्ष्म और लघु उद्यम से आज्ञापन उपापन - (1) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम को वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके पश्चात से तीन वर्षों की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदों के न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन प्राप्त करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन का एक वार्षिक लक्ष्य नियत करेगा।

(2) उपापन के वार्षिक लक्ष्य के अंतर्गत बड़े उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम के संघ की उप-संविदाएं भी हैं।

(3) तीन वर्षों की अवधि के पश्चात अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन लक्ष्य आज्ञापक होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, जो वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहते हैं, को इस नीति के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की अध्यक्षता में गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष इसके उचित कारण सिद्ध करने होंगे।

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष उपबंध- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक उपापन के 20 प्रतिशत लक्ष्य में से, 20 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य (अर्थात् 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिह्नित होंगे। परंतु, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेंडर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत का उप-लक्ष्य अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।

5. वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्यों की रिपोर्टिंग - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम से सरकारी उपापन के आंकड़े इस नीति के सशक्तीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम से किए जाने वाले उपापन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उसमें की गई उपलब्धि की सूचना अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देंगे।

(2) वार्षिक रिपोर्ट-सूचना सूक्ष्म और लघु उद्यम विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रदान किया जा रहा समर्थन की बेहतर समझ में सुकर बनाएगा।

6. निविदा में मूल्य कोटेशन - (1) टेंडर में, सहभागी सूक्ष्म और लघु उद्यम जिसने एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत करेंगे उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को एल1 मूल्य

के स्तर पर लाकर एक भाग की आपूर्ति की अपेक्षाओं की अनुमति भी दी जाएगी और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति की अनुज्ञात होगी।

(2) ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से बांटा (निविदा की गई मात्रा तक) जाएगा।

7. सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास - केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए और आवधिक आवश्यकताओं के संबंध में एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ दर अनुबंध करते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

8. वेबसाइट पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन के लिए वार्षिक योजना - मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रय के लिए वार्षिक उपापन योजना भी तैयार करेंगे और उसे अपने शासकीय वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यम उपापन अभिकरणों की अपेक्षाओं के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त कर सकें।

9. सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, की भागीदारी बढ़ाना - सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विभागों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संघ निर्माण की उसकी योजनाओं के अधीन पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने एकल बिंदु रजिस्ट्रीकरण योजना के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष खिड़की खोलेगा।

10. संव्यवहार लागत में कमी - व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किसी लागत के बिना निविदा सेट उपलब्ध कराके, अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-उपापन अपनाकर तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करके सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

11. उपापन के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षण - विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में, देश में उद्यमों को एक व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों (अनुबंध-ख)का उपापन जारी रखेगा, जो उनसे

विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिसके अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग भी है, के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी, जो देश में समग्र विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12. पुनर्विलोकन समिति - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति की मानीटरी और पुनर्विलोकन के लिए सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अध्यक्षता के अधीन आदेश सं 21(1)/2007-एमए तारीख 21 जून 2010 के द्वारा (उपाबंध) एक समिति गठित होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समिति की संरचना में की जब और जैसे अपेक्षित हो, पुनर्विलोकन / उपारिक्त करेगा।

(2) यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अनवरत आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से अनन्य खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची पुनर्विलोकन करेगी, मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत लक्ष्य से छूट के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करेगी और नीति के अधीन उपलब्धियों की मानीटरी करेगी।

13. शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना - इसके अतिरिक्त, सरकारी उपापन में सूक्ष्म और लघु उद्यम की शिकायतों के प्रतितोष के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक 'शिकायत प्रकोष्ठ' गठित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में संबंधित विभागों / एजेंसियों के सामने सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उठाए गए सरकारी उपापन संबंधी मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों / एजेंसियों द्वारा निविदाओं में अनुचित शर्तों को लगाना भी है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यम को अलाभप्रदा स्थिति में रखते हैं।

14. रक्षा उपापन के लिए विशेष प्रावधान - (1) रक्षा मंत्रालय के लिए हेतु 20 प्रतिशत के लक्ष्य की गणना में रक्षा शस्त्रीकरण की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए उनके आयात को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा उपकरणों जैसे शस्त्र प्रणालियां, प्रक्षेपास्त्र, आदि आरक्षण की ऐसी नीति के अधीन नहीं होगी।

(2) नीति के अधीन नियत लक्ष्यों का मानीटरी जहां तक रक्षा सेक्टर का संबंध है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं उनके द्वारा स्थापित उपयुक्त प्रक्रियाओं के अनुसरण की जाएगी।

15. कठिनाई का निवारण - उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई किसी कठिनाई के संबंध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपयुक्त प्रेस रिलीज के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जाएगा और जिसे पब्लिक डोमिन में रखा जाएगा।

[फा.सं. 21(1)/2011-एमए]

अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव और विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अनुबंध

सं. 21(1)/2007-एमए

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)का कार्यालय

ए विंग, 7 वां तल, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110108

तारीख : 21 जून, 2010

आदेश

विषय: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति के अधीन समिति का गठन

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए नई सार्वजनिक उपापन नीति के लम्बित अनुमोदन के अनुसरण में चयनित केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के संबंध में प्रस्तावित नीति के कुछ उपबन्धों के लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

2. समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

- | | |
|---|--------------|
| (i) सचिव, सू. ल. और म. उद्यम मंत्रालय | : अध्यक्ष |
| (ii) सचिव, योजना आयोग | : सदस्य |
| (iii) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग | : सदस्य |
| (iv) महानिदेशक (आपूर्ति और निपटान),
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | : सदस्य |
| (v) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त(सू. ल. म. उद्यम) | : सदस्य-सचिव |

3. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

- (i) मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत के लक्ष्य से छूट देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करना;
 - (ii) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची (परिशिष्ट के अनुसार) की समीक्षा;
 - (iii) सरकारी विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निकाली गई निविदाओं में अनुचित शर्तें लगाने सहित सरकारी उपापन के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा; और
 - (iv) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम से की जाने वाले उपापनों को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष उपायों का सुझाव देना।
4. समिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के किन्हीं अन्य मंत्रालयों / विभागों को सम्मिलित कर सकती है या बैठकों में किसी अन्य विशेषज्ञ / व्यक्ति, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित हो, को जब भी आवश्यक हो आमंत्रित कर सकती है।
5. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय इस समिति को सचिवीय समर्थन उपलब्ध करेगा।
6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रवीण महतो)

अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार

दूरभाष: 23062230, फैक्स: 23061611

परिशिष्ट

हस्तशिल्प क्षेत्र सहित लघु उद्योग इकाइयों से खरीद के लिए आरक्षित मदों की सूची**क्रम सं. मद विवरण**

1. ए ए स्टी/और ए सी एस आर कन्डक्टर 19 स्ट्रैंड तक
2. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स
क. हस्तप्रचालित औजार और उपकरण
ख. पशुचालित उपकरण
3. एयर/रूम कूलर
4. एल्यूमिनियम बिल्डर्स हार्डवेयर
5. एम्बुलेंस स्ट्रेचर
6. एममीटर्स / ओहम मीटर / वोल्ट मीटर(क्लास1 परिशुद्धता तक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक)
7. एंकलेट वेब खाकी
8. ऑगुर (कारपेंटर्स)
9. आटोमोबाइल हेड लाईट एसेम्बली
10. बैज क्लायथ कढ़ाई और मेटल के
11. लेदर, काटन, कैनवस और जूट इत्यादि के बने सभी प्रकार के बैग किट बैग, मेल बैग, स्लीपिंग बैग और वाटर प्रूफ बैग सहित
12. बैन्डेज क्लायथ
13. बारबेड वायर
14. बास्केट केन (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीद की जा सकती है)
15. बाथ टब
16. बैटरी चार्जर
17. बैटरी एलीमिनेटर
18. बीम स्केल (1.5 टन तक)
19. बेल्ट लैदर एंड स्ट्रैप्स
20. बैन्च वाइसिस
21. बिटुमिनीअस पेंट्स
22. ब्लोटिंग पेपर

23. बोल्ट्स एंड नट्स
24. बोल्ट्स स्लाईडिंग
25. बोन मील
26. बूट पालिश
27. कैनवस जूतों सहित सभी प्रकार के बूट्स एंड शूज
28. बाउल
29. लैदर बाक्स
30. मेटल के बने बाक्स
31. ब्रासिस
32. ब्राकेट्स, रेलवे में प्रयुक्त के अलावा
33. ब्रास वायर
34. ब्रीफकेस (मोल्डेड लगेज के अलावा)
35. झाड़ू
36. सभी प्रकार के ब्रश
37. सभी प्रकार की बाल्टियां
38. सभी प्रकार के बटन
39. केंडल वैक्स कैरिज
40. केन वाल्व/स्टोक वैल्वस (केवल वॉटर फिटिंग के लिए)
41. मेटालिक केन (दूध और मापने के लिए)
42. कैनवस प्रोडक्ट्स
 - (क) वाटर प्रूफ डेलिवर बैग, स्पे. नं. आई एस-1422/70
 - (ख) बोनट कवर और रेडियटर स्पे. ट्रे एल वी 7/ एन एस एन / आई ए / 130295
43. सूती और ऊनी कैप्स
44. वाटरप्रूफ कैप्स
45. कैस्टर आयल
46. सीलिंग रोसिस 15 एम्पी तक
47. सेन्ट्रीफुगल स्टील प्लेट ब्लोवर्स
48. सेन्ट्रीफुगल पंप
49. चाफ कटर ब्लेड
50. चेन लार्शिंग
51. चप्पल एंड सेंडिल
52. चामोइस लैदर
53. चोक्स फोर लाईट फीटिंग
54. क्रोम टैन्ड लैदर (सेमी-फिनिशड मैस और गाय)
55. सरक्लिप्स
56. क्लॉ बार्स एंड वायर्स
57. क्लीनिंग पाउडर
58. क्लीनिकल थर्मोमीटर्स
59. क्लाथ कवर्स

60. क्लाथ जाकोनट
61. क्लाथ स्पोज
62. कैयर फाइबर एंड कैयर यार्न
63. कैयर मैटरैस कुशन्स एंड मैटिंग
64. कैयर रोप हॅसरलेड
65. कम्युनिटी रेडियो रिसेवर
66. कन्डुट पाईप्स
67. कॉपर नेल
68. कॉपर नैपथीनेट
69. कॉपर सलफेट
70. कॉर्ड टवीन मेकर
71. कॉरडेज अदर्स
72. कौरुगेटिड पेपर बोर्ड एंड बाक्स
73. कॉटन एबसोरबेंट
74. कॉटन बेल्टस
75. कॉटन कैरियर्स
76. कॉटन केसिस
77. कॉटन कार्ड टवीन
78. कॉटन हौजरी
79. कॉटन पैक्स
80. कॉटन पाउच
81. कॉटन रोप
82. कॉटन सिंगलेट
83. कॉटन स्लींग
84. कॉटन स्ट्रेप्स
85. कॉटन टैप्स एंड लेसिस
86. कॉटन वूल (नॉन एब्जाबेंट)
87. क्रेट वुडन एंड प्लास्टिक
88. (क) कृसीबल्स 200 नं. तक
(ख) कृसीबल्स ग्रेफाईट 500 नं. तक
(ग) अन्य कृसीबल्स 30 कि.ग्रा. तक
89. कम्बल एंड रजाईयां
90. करटेन्स मोसकीटो
91. कटर्स
92. डीबूटी फिथालेट
93. डीजल इंजन 15 एच पी तक
94. डाइमेथाइल फिथालेट
95. डिसइंफेक्टैन्ट फलूड
96. डिस्ट्रीब्यूटिशन बोर्ड 15 एम्पी तक

97. घरेलू बिजली के उपकरण (बीआईएस मानकों के अनुसार)- बिजली का टोस्टर, प्रैस, हॉट प्लेट्स, मिक्सर ग्राइंडर रूम हीटर, कनवैक्टर्स एंड ओवन
98. घरेलू पी वी सी केबल्स एंड वायर्स (अल्यूमिनियम)
निर्धारित बीआईएस मानकों के अनुरूप और 10.00 एमएम स्क्वायर नॉमिनल क्रास सेक्शन तक
99. ड्राईंग एंड मैथमैटिकल्स इन्स्ट्रूमेंट्स
100. ड्रम्स एंड बैरल
101. डस्ट बिन
102. डस्ट शील्ड लैदर
103. सभी प्रकार के कॉटन डस्टर, खादी में आवश्यक मदों को छोड़कर
104. डाईज
(क) एजो डाई (डायरेक्ट और एसिड)
(ख) बेसिक डाई
105. बिजली की कॉल बैल / बजर / डोर बैल
106. इलैक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन
107. इलैक्ट्रिक ट्रांसमीशन लाईन हार्डवेयर मदें जैसे कि स्टील क्रास बार्स, क्रास आर्म्स क्लैम्पस आर्चिंग हार्न, ब्रैकेट्स, आद
108. इलैक्ट्रॉनिक डोर बैल
109. एमरजेंसी लाईट (रिचार्ज होने वाली)
110. इनेमल वायर्स और इनेमल यूटेंसिल
111. इक्यूपमेंट कैमूक्लेज बम्बू सपोर्ट
112. एकजास्ट मफलर
113. एक्सपेंडिड मेटल
114. आईलेट्स
115. फिल्म पॉलीथीन-वाइड विड्थ फिल्म सहित
116. फिल्म स्पूल्स एंड कैन्स
117. अग्नि शामक (बाल टाइप)
118. फूट पाउडर
119. फ्रैन्च पॉलिश
120. फानैल्स
121. फयूज कट आउट
122. फयूज यूनिट
123. गारमेंट्स (इंडियन आर्डनेन्स फैक्टरियों की आपूर्ति को छोड़कर)
124. गैस मेन्टल
125. गाउज क्लाथ
126. सभी प्रकार के गाउज सरजीकल
127. गामेल्स (तसला)
128. ग्लास एम्पुल्स
129. ग्लास एंड प्रेस्ड वेयर

130. ग्लू
131. ग्रीस निप्पल्स एंड ग्रीस गन्स
132. गन केसिस
133. गन मेटल बुश
134. गमटेप
135. सभी प्रकार के हैंड ड्रॉन कार्ट्स
136. सभी प्रकार के हैंड ग्लब्स
137. हैंड लैम्प्स रेलवे
138. हैंड नम्बरिंग मशीन
139. हैंड पाउंडिड राईस (पॉलिश और बिना पॉलिश किए हुए)
140. हैंड प्रेसेस
141. हैंड पम्प
142. सभी प्रकार के हैंड टूल्स
143. हैंडल वुडन एंड बैम्बू (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी अधिप्राप्ति की जा सकती है)
144. हारनेस लैदर
145. हस्पस एंड स्टैप्लस
146. हैवर सैक्स
147. हेलमेट नॉन-मेटालिक
148. सभी प्रकार के हाईड एंड कंट्री लैदर
149. हिंग्स
150. हॉब नेल्स
151. होल्डाल
152. हनी
153. हॉर्स एंड मूल शूज
154. हाइड्रोलिक जैक्स 30 टन कैपिसिटी से कम
155. इंसैक्टीसाईड डस्ट एंड स्पेयर्स(केवल मैनुअल)
156. इनवैलिड व्हील चेरर
157. घरेलू प्रकार के इन्वर्टर 5 के वी ए तक
158. इस्त्री (धोबी)
159. की-बोर्ड वुडन
160. किट बाक्स
161. कोदाली
162. लेस लैदर
163. लैम्प होल्डर
164. लैम्प सिग्नल
165. लालटेन पोस्ट एंड बॉडीज
166. लैनयार्ड
167. लेटेक्स फोम स्पंज

168. लाठी
169. लैटर बाक्स
170. लाईटिंग अरेस्टर 22 के वी तक
171. लिंक क्लिप
172. लिनसीड आयल
173. लिट प्लेन
174. लॉकर्स
175. लुब्रीकेटर्स
176. एल टी पोरसीलेन किटकेट एंड फयूज ग्रिप
177. मशीन स्कूय्स
178. मैग्निशियम सल्फेट
179. मैलेट वूडन
180. मैनहोल कवर्स
181. मेजरिंग टेप्स एवं स्टिक्स
182. मेटलक्लेड स्विचिज (30 एम्पलीफायर्स तक)
183. मेटल पोलिश
184. मैटालिक कन्टेनर्स एंड ड्रम्स अदरदैन एन बी सी (नोट एलसवियर क्लासिफाईड)
185. मीट्रिक व्हेट्स
186. माइक्रोस्कोप फोर नोर्मल मेडीकल यूज
187. मिनिएचर ब्लब्स (फोर टार्चिज ओनली)
188. एम.एस. टाई बार्स
189. नेल कटर्स
190. नेपथलिन बाल्स
191. नीवाड
192. निक्कल सल्फेट
193. नाइलॉन स्टॉकिंग
194. नाइलॉन टेप्स एंड लेसिज
195. आयल बाउंड डिस्पेम्पर
196. आयल स्टोक्स (विक स्टोक्स ओनली)
197. पैड लॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स
198. पेंट रिमूवर
199. पाल्मा रोज़ा आयल
200. पॉमगुर
201. पैन्स लेवोटरी फ्लश
202. पेपर कन्वर्जन प्रोडक्ट्स, पेपर बैग्स, एनवलप्स, आइसक्रीम कप, पेपर कप एंड सोसर्स एंड पेपर प्लेट्स
203. पेपर टेप्स (गम्ड)
204. पापड़
205. पिकल्स एंड चटनी
206. पाइल्स फैबरिक
207. पिल्लौ
208. प्लास्टर ऑफ पेरिस

209. प्लास्टर ब्लौ मोल्डिड कन्टेनर्स अप टू 20 लिटर एक्सक्लूडिंग पोलि इथलिन टर्फथलेट (पी ई टी) कन्टेनर्स
210. प्लास्टिक केन
211. प्लेईंग कार्ड्स
212. प्लग एंड सॉकेट इलेक्ट्रिक अप टू 15 एम्पलीफायर
213. पोलिथिन बैग्स
214. पोलिथिन पाईप्स
215. पोस्ट पिकेट (बूडन)
216. पोस्टल लैड सील्स
217. पोटेशियम नाईट्रेट
218. पाऊच
219. प्रेशर डाई कास्टिंग अप टू 0.75 किलोग्राम
220. प्रिवी पैन्स
221. पुल्ली वायर
222. पी वी सी फुटवियर
223. पी वी सी पाइप्स अपटू 110 मि.मी.
224. पीवीसी इंशुलेटिड एल्युमिनियम केबल्स (120 स्केयर मि.मी. तक) (आई एस एस: 694)
225. क्विल्ट्स, रज़ाई
226. रेग्स
227. रेलवे कैरिज लाईट फिटिंग्स
228. रेक्स ब्लॉस्ट
229. रेज़र
230. आरसीसी पाईप अपटू 1200 मि.मी. डाय
231. आर सी सी पोल्स प्रिस्ट्रेस्ड
232. रिबेट ऑफ ऑल टाईप्स
233. रोलिंग शटर्स
234. रूफ लाईट फिटिंग
235. रबड़ बैलून
236. रबड़ कोर्ड
237. रबड़ होसिस (अनब्रांडिड)
238. रबड़ ट्यूबिंग (एक्सक्लूडिंग ब्रेडिड ट्यूबिंग)
239. रबराईज्ड गारमेंट कैप एंड कैप्स, एट.
240. रस्ट/स्केल रिमूविंग कम्पोजिशन
241. सेफ मीट एंड मिल्क
242. सेफ्टी मैचिज
243. सेफ्टी पिन्स(एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट लाईक पेपर पिन्स, स्टेपल्स पिन्सए एट.
244. सेनेटरी प्लम्बिंग फिटिंग
245. सेनेटरी टावल्स
246. साइन्टीफिक लेवोरेटरी ग्लास वियर (बारिंग साफीस्टिकेटिड आइटम)
247. सिज़र कटिंग (आर्डिनरी)
248. स्क्रूज ऑफ ऑल टाइप इन्क्लूडिंग हाई टेन्साईल

249. शीप स्किन आल टाइप
250. शेलक
251. शु लेसिज़
252. शावेल्लस
253. साइन बोर्ड पेन्टिड
254. सिल्क रिबन
255. सिल्क वैबिंग
256. स्काईबूटस एंड शूज
257. स्ल्यूज वाल्वज
258. स्नेपफास्टर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)
259. सोप कार्बोलिक
260. सोप कर्ड
261. सोप लिक्विड
262. सोप साप्ट
263. सोप वार्शिंग ओर लॉन्डरी सोप
264. सोप येल्लो
265. सॉकेट/पाइप
266. सोडियम नाइट्रेट
267. सोडियम सिलिकेट
268. सोल लैदर
269. स्पेक्टेकल फ्रेम्स
270. स्पाईकड बूट
271. स्पोर्टस शूज मेड आउट ऑफ लैदर (फोर आल स्पोर्टस गेम्स)
272. स्कर्वल केज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्क्लूडिंग 100 किलो वाट 44 वोल्ट 3 फेस
273. स्टेपलिंग मशीन
274. स्टील अलमिरा
275. स्टील बैड स्टैड
276. स्टील चेयर
277. स्टील डैस्क
278. स्टील रैक्स/शैल्फ
279. स्टील स्टूल्स
280. स्टील ट्रंक
281. स्टील वूल
282. स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वेंटिलेटर
283. स्टाकिनेट
284. स्टोन एंड स्टोन क्वैरी रोलर
285. स्टोन वियर जार
286. स्ट्रैंडिड तायर
287. स्ट्रीट लाइट फिटिंग
288. स्टूडेंट माइक्रोस्कोप
289. स्टड (एक्सक्लूडिंग हाई टैसाइल)

249. शीप स्किन आल टाइप
250. शेलक
251. शू लेसिज़
252. शावेल्स
253. साइन बोर्ड पेन्टिड
254. सिल्क रिबन
255. सिल्क वैबिंग
256. स्काईबूटस एंड शूज
257. स्ल्यूज वाल्वज
258. स्नेपफास्टनर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)
259. सोप कार्बोलिक
260. सोप कर्ड
261. सोप लिक्विड
262. सोप साफ्ट
263. सोप वार्शिंग ओर लॉन्डरी सोप
264. सोप येल्लो
265. सॉकेट/पाइप
266. सोडियम नाइट्रेट
267. सोडियम सिलिकेट
268. सोल लैदर
269. स्पेक्टेकल फ्रेम्स
270. स्पाईकड बूट
271. स्पोर्टस शूज मेड आउट ऑफ लैदर (फोर आल स्पोर्टस गेम्स)
272. स्कर्वल केज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्क्लूडिंग 100 किलो वाट 44 वोल्ट 3 फेस
273. स्टेपलिंग मशीन
274. स्टील अलमिरा
275. स्टील बैड स्टैड
276. स्टील चेयर
277. स्टील डैस्क
278. स्टील रैक्स/शैल्फ
279. स्टील स्टूल्स
280. स्टील ट्रंक
281. स्टील वूल
282. स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वेंटिलेटर
283. स्टाकिनेट
284. स्टोन एंड स्टोन क्वैरी रोलर
285. स्टोन वियर जार
286. स्ट्रैंडिड वायर
287. स्ट्रीट लाइट फिटिंग
288. स्टूडेंट माइक्रोस्कोप
289. स्टड (एक्सक्लूडिंग हाई टैसाइल)

290. सर्जिकल ग्लोब्स (एक्सैप्ट प्लास्टिक)
291. टेबल नाइव्स (एक्सक्लूडिंग कटलरी)
292. टेक मेटलिक
293. टैप्स
294. तारपोलिन
295. टीक फैब्रिकेटिड राउंड ब्लॉक्स
296. टेन्ट पोल्स
297. टेन्टेज सिविल / मिलिट्री एंड सेलिताह जूट फोर टेन्टेज
298. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अदर दैन एन. ई. सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
299. टाइल्स
300. टिन बॉक्सिज फोर पोस्टेज स्टैम्प
301. टिन केन अनप्रिंटेड अप टू 4 गैलन कैपेसिटी (अदर दैन केन ओ.टी.एस.)
302. टिन मैस
303. टिप बूटस
304. टोग्गल स्विचज
305. टायलेट रोल्स
306. ट्रांस्फार्मर टाइप वैल्विंग सैटस कंफोरमिंग टू आई एस: 1291/75 (अप टू 600 एम्पलीफायर)
307. ट्रांजिस्टर रेडियो अप टू 3 बैंड
308. ट्रांजिस्ट्राईज्ड इसुलेशन-टैस्टर
309. ट्रेज
310. ट्रे फोर पोस्टल यूज
311. ट्रॉलि
312. ट्रालि-ड्रिंकिंग वाटर
313. ट्यूबलर पोल्स
314. टायर एंड ट्यूब (साइकिल)
315. अम्ब्रेला
316. यूटैसिल ऑल टाइप्स
317. वाल्व मेटलिक
318. वार्निश ब्लॉक जापान
319. वोल्टेज स्टैबलाइजर इन्क्लूडिंग सी.वी.टी.
320. वाशर आल टाइप्स
321. वाटर प्रूफ कवर
322. वाटर प्रूफ पेपर
323. वाटर टैंक अप टू 15,000 लिटर कैपेसिटी
324. वैक्स सीलिंग
325. वैक्सड पेपर
326. वेईंग स्केल
327. वैल्विड वायरमाश
328. व्हील बारोस
329. विसल
330. विक्स कोटन

331. विंग शील्ल वाइपर (आर्मस एंड ब्लेडस ओनली)
332. वायर ब्रसिज एंड फाइबर ब्रसिज
333. वायर फेन्सिंग एंड फिटिंग
334. वायर नेल्स एंड होर्स शू नेल्स
335. वायर नेटिंग्स ऑफ गौज थिकर दैन 100 मेश साईज
336. वूड वूल
337. वूडन एम्युनिशन बॉक्सीज
338. वूडन बोर्डस
339. वूडन बॉक्स फोर स्टैम्पस
340. वूडन बॉक्सीज एंड केसिज एन.ई.सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
341. वूडन चेयर्स
342. वूडन फ्लश डोर शटर्स
343. वूडन पैकिंग केसिज आल साईजिज
344. वूडन पिन्स
345. वूडन प्लग्स
346. वूडन शैल्वज
347. वूडन वेनियर्स
348. वूलन हौजरी
349. जिंक सल्फेट
350. जिप फास्टनर

हैंडीक्राफ्ट आयटम्स

- | क्रम सं. | वस्तु विवरण | आपूर्ति का स्रोत |
|----------|---|--|
| 351. | केन फर्नीचर | नोर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन
असम गवर्नमेंट मार्किटिंग कोरपोरेशन क्राफ्ट सोसाइटी ऑफ
मणिपुर
नागालैंड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन |
| 352. | बेम्बू फाइल ट्रे, बास्केट, पेंसिल
स्टैंड, साईड रैक एट. | -वही- |
| 353. | आर्टिस्टिक वूडन फर्नीचर | राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन, उत्तर प्रदेश
एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन |
| 354. | वूडन पेपर वेट, रैक्स एट. | -वही- |
| 355. | ग्लास कवर्स मेड ऑफ वूड एंड
ग्रास जूट | -वही- |
| 356. | जूट फर्नीचर | वैस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट डेवलेपमेंट कोरपोरेशन
जूट मैन्युफैक्चरिंग डेवलेपमेंट कोरपोरेशन
उड़ीसा स्टेट हैंडीक्राफ्टस डेवलपमेंट कोरपोरेशन |
| 357. | जूट बैग्स, फाइल कवर | -वही- |
| 358. | वूलन एंड सिल्क कारपेटस | यू पी एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन
जे एंड के सेल एंड एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन |

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES**

New Delhi, the 23rd March, 2012

ORDER

S.O. 581(E).—Whereas, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall procure minimum of 20 per cent of their annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy shall apply to Micro and Small Enterprises registered with District Industries Centers or Khadi and Village Industries Commission or Khadi and Village Industries Board or Coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicrafts and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy rests upon core principles of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of orders for supply of goods or services in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective; and

And whereas, for facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government, as the case may be, by Order notify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or Departments, as the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred in section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Central Government, by Order, notifies the Public Procurement Policy (hereinafter referred to as the Policy) in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries, Departments and Public Sector Undertakings.

2. Short title and commencement. -

(1) This Order is titled as 'Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012'.

(2) It shall come into force with effect from 1st April 2012.

3. Mandatory procurement from Micro Small and Enterprises. - (1) Every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20 per cent, of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and Small Enterprises in a period of three years.

(2) Annual goal of procurement also include sub-contracts to Micro and Small Enterprises by large enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation.

(3) After a period of three years i.e. from 1st April 2015, overall procurement goal of minimum of 20 per cent shall be made mandatory.

(4) The Central Ministries, Departments and Public Sector Undertakings which fail to meet the annual goal shall substantiate with reasons to the Review Committee headed by Secretary (Micro, Small and Medium Enterprises), constituted in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, under this Policy.

4. Special provisions for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes. % Out of 20 per cent target of annual procurement from Micro and Small Enterprises, a sub-target of 20 per cent (i.e., 4 per cent out of 20 per cent) shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises owned by the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe entrepreneurs. Provided that, in event of failure of such Micro and Small Enterprises to participate in tender process or meet tender requirements and L1 price, 4 per cent sub-target for procurement earmarked for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Caste or Scheduled Tribe entrepreneurs shall be met from other Micro and Small Enterprises.

5. Reporting of targets in Annual Report. % (1) The data on Government procurements from Micro and Small Enterprises is vital for strengthening the Policy and for this purpose, every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall report goals set with respect to procurement to be met from Micro and Small Enterprises and achievement made thereto in their respective Annual Reports.

(2) The annual reporting shall facilitate in better understanding of support being provided by different Ministries or Departments or Public Sector Undertakings to Micro and Small Enterprises.

6. Price quotation in tenders. % (1) In tender, participating Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15 per cent shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprise and such Micro and Small Enterprise shall be allowed to supply up to 20 per cent of total tendered value.

(2) In case of more than one such Micro and Small Enterprise, the supply shall be shared proportionately (to tendered quantity).

7. Developing Micro and Small Enterprise vendors. - The Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall take necessary steps to develop appropriate vendors by organizing Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets and entering into Rate

Contract with Micro and Small Enterprises for a specified period in respect of periodic requirements.

8. Annual Plan for Procurement from Micro and Small Enterprises on websites. – The Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall also prepare Annual Procurement Plan for purchases and upload the same on their official website so that Micro and Small Enterprises may get advance information about requirement of procurement agencies.

9. Enhancing participations of Micro and Small Enterprises including those owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurements. % For enhancing participation of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurement, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall take following steps, namely:-

- (a) Special Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets shall be conducted by Departments/Public Sector Undertakings for Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
- (b) Outreach programmes shall be conducted by National Small Industries Corporation to cover more and more Micro and Small Enterprises from Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its schemes of consortia formation; and
- (c) National Small Industries Corporation shall open a special window for Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its Single Point Registration Scheme (SPRS).

10. Reduction in transaction cost. % To reduce transaction cost of doing business, Micro and Small Enterprises shall be facilitated by providing them tender sets free of cost, exempting Micro and Small Enterprises from payment of earnest money, adopting e-procurement to bring in transparency in tendering process and setting up a Grievance Cell in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

11. Reservation of specific items for procurement. % To enable wider dispersal of enterprises in the country, particularly in rural areas, the Central Government Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall continue to procure 358 items (Appendix) from Micro and Small Enterprises, which have been reserved for exclusive purchase from them. This will help in promotion and growth of Micro and Small Enterprises, including Khadi and village industries, which play a critical role in fostering inclusive growth in the country.

12. Review Committee. (1) A Review Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, for

monitoring and review of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises vide Order No. 21(1)/2007-MA dated the 21st June 2010 (Annexure).

(2) This Committee shall, inter alia, review list of 358 items reserved for exclusive purchase from Micro and Small Enterprises on a continuous basis, consider requests of the Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings for exemption from 20 per cent target on a case to case basis and monitor achievements under the Policy.

13. Setting up of Grievance Cell. % In addition, a 'Grievance Cell' will be set up in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for redressing grievances of Micro and Small Enterprises in Government procurement. This cell shall take up issues related to Government procurement raised by Micro and Small Enterprises with Departments or agencies concerned, including imposition of unreasonable conditions in tenders floated by Government Departments or agencies that put Micro and Small Enterprises at a disadvantage.

14. Special Provisions for Defence Procurements. % Given their unique nature, defence armament imports shall not be included in computing 20 per cent goal for Ministry of Defence. In addition, defence equipments like weapon systems, missiles, etc. shall remain out of purview of such Policy of reservation.

15. Monitoring of Goals. % The monitoring of goals set under the Policy shall be done, in so far as they relate to the Defence sector, by Ministry of Defence itself in accordance with suitable procedures to be established by them.

16. Removal of difficulty. % Any difficulties experienced during the course of implementation of the above Policy shall be clarified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises through suitable Press releases which would be kept on the public domain.

[F.No. 21(1)/2011-MA]

AMARENDRA SINHA, Additional Secretary and
Development Commissioner (MSME)

ANNEXURE

No. 21(1)/2007-MA

Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Office of the Development Commissioner (MSME)

'A' Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan,

New Delhi-110108

Dated: 21st June, 2010

ORDER

Subject: Constitution of a Committee for monitoring and

review of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises

Pending approval of the new Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs), a Committee is hereby constituted for looking into the applicability of some of the provisions of the proposed Policy in respect of select Central Ministries/Departments.. The Committee will be chaired by the Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

2. The composition of the Committee will be as follows:

- | | |
|--|--------------------|
| (i) Secretary,
Ministry of MSME | : Chairman |
| (ii) Secretary,
Planning Commission | : Member |
| (iv) Secretary,
Department of Public
Enterprises | : Member |
| (v) Director General
(Supplies and Disposals),
Department of Commerce, | : Member |
| (vii) Ministry of Commerce
and Industry | |
| (viii) Additional Secretary and
Development
Commissioner (MSME) | : Member Secretary |

3. The Committee will undertake the following functions:

- (i) Consider the requests of the Central Ministries/Departments/PSUs for exemption, on a case to case basis, from the 20% target;
- (ii) Review the list of 358 items (as per Appendix) reserved for exclusive purchase from the MSEs based on the feedback received from the Central Ministries/Departments/PSUs ;
- (iii) Review the grievances received from MSEs regarding Government procurement, including imposition of unreasonable conditions in the tenders floated by the Government Departments/PSUs; and
- (iv) Suggest special measures to be taken by the Central Ministries/Departments for enhancing their procurements from MSEs.

4. The Committee may co-opt any other Ministries/Departments of the Central Government as well as State Governments or invite any other expert/person associated/concerned with the MSMEs in its meetings, as and when required.

5. The Office of the Development Commissioner (MSME) will provide secretariat support to this Committee.

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

Sl-

(Praveen Mahto)

Additional Economic Adviser

Ph: 23062230, Fax: 23061611

APPENDIX

LIST OF ITEMS RESERVED FOR PURCHASE FROM SMALL SCALE INDUSTRIAL UNITS INCLUDING HANDICRAFT SECTOR.

Sl No. Item Description

1. AAC/and ACSR Conductor upto 19 strands
2. Agricultural Implements
 - (a) Hand Operated tools and implements
 - (b) Animal driven implements
3. Air/Room Coolers
4. Aluminum builder's hardware
5. Ambulance stretcher
6. Ammeters/ohm meter/Volt meter (Electro magnetic upto Class I accuracy)
7. Anklets Web Khaki
8. Augur (Carpenters)
9. Automobile Head lights Assembly
10. Badges cloth embroidered and metals
11. Bags of all types i.e. made of leather, cotton, canvas and jute etc. including kit bags, mail bags, sleeping bags and water-proof bag.
12. Bandage cloth
13. Barbed Wire
14. Basket cane (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation)
15. Bath tubs
16. Battery Charger
17. Battery Eliminator
18. Beam Scales (upto 1.5 tons)
19. Belt leather and straps
20. Bench Vices
21. Bituminous Paints
22. Blotting Paper

23. Bolts and Nuts
24. Bolts Sliding
25. Bone Meai
26. Boot Polish
27. Boots and Shoes of all types including canvas shoes
28. Bowls
29. Boxes Leather
30. Boxes made of metal
31. Braces
32. Brackets other than those used in Railways
33. Brass Wire
34. Brief Cases (other than moulded luggage)
35. Brooms
36. Brushes of all types
37. Buckets of all types
38. Button of all types
39. Candle Wax Carriage
40. Cane Valves/stock valves (for water fittings only)
41. Cans metallic (for milk and measuring)
42. Canvas Products :
 - (a) Water Proof Deliver, Bags to spec. No. IS - 1422/70
 - (b) Bonnet Covers and Radiators Muff. to spec. Drg. Lv 7/NSN/IA/130295
43. Capes Cotton and Woollen
44. Capes Waterproof
45. Castor Oil
46. Ceiling roses upto 15 amps
47. Centrifugal steel plate blowers
48. Centrifugal Pumps suction and delivery 150 mm. x 150mm
49. Chaff Cutter Blade
50. Chains lashing
51. Chappals and sandals
52. Chamois Leather
53. Chokes for light fitting
54. Chrome Tanned leather (Semi-finished Buffalo and Cow)
55. Circlips
56. Claw Bars and Wires
57. Cleaning Powder
58. Clinical Thermometers
59. Cloth Covers
60. Cloth Jaconet
61. Cloth Sponge
62. Coir fibre and Coir yarn
63. Coir mattress cushions and matting
64. Coir Rope hawserlaid
65. Community Radio Receivers
66. Conduit pipes
67. Copper nail
68. Copper Napthenate
69. Copper sulphate
70. Cord Twine Maker
71. Cordage Others
72. Corrugated Paper Board and Boxes
73. Cotton Absorbent
74. Cotton Belts
75. Cotton Carriers
76. Cotton Cases
77. Cotton Cord Twine
78. Cotton Hosiery
79. Cotton Packs
80. Cotton Pouches
81. Cotton Ropes
82. Cotton Singlets
83. Cotton Sling
84. Cotton Straps
85. Cotton tapes and laces
86. Cotton Wool (Non absorbent)
87. Crates Wooden and plastic
88. (a) Crucibles upto No. 200
(b) Crucibles Graphite upto No. 500
(c) Other Crucibles upto 30 kgs.
89. Cumblies and blankets
90. Curtains mosquito
91. Cutters
92. Dibutyl phthalate
93. Diesel engines upto 15 H.P
94. Dimethyl Phthalate
95. Disinfectant Fluids
96. Distribution Board upto 15 amps
97. Domestic Electric appliances as per BIS Specifications :-
 - Toaster Electric, Elect. Iron, Hot Plates, Elect. Mixer, Grinders, Room heaters and convectors and ovens
98. Domestic (House Wiring) P.V.C. Cables and Wires (Aluminum) Conforming to the prescribed BIS Specifications and upto 10.00 mm sq. nominal cross section
99. Drawing and Mathematical Instruments

- | | |
|---|--|
| 100. Drums and Barrels | 139. Hand pounded Rice (polished and unpolished) |
| 101. Dust Bins | 140. Hand presses |
| 102. Dust Shield leather | 141. Hand Pump |
| 103. Dusters Cotton all types except the items required in Khadi | 142. Hand Tools of all types |
| 104. Dyes : | 143. Handles wooden and bamboo (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation) |
| (a) Azo Dyes (Direct and Acid) | 144. Harness Leather |
| (b) Basic Dyes | 145. Hasps and Staples |
| 105. Electric Call bells/buzzers/door bells | 146. Haver Sacks |
| 106. Electric Soldering Iron | 147. Helmet Non-Metallic |
| 107. Electric Transmission Line Hardware items like steel cross bars, cross arms clamps arching horn, brackets, etc | 148. Hide and country leather of all types |
| 108. Electronic door bell | 149. Hinges |
| 109. Emergency Light (Rechargeable type) | 150. Hob nails |
| 110. Enamel Wares and Enamel Utensils | 151. Holdall |
| 111. Equipment camouflage Bamboo support | 152. Honey |
| 112. Exhaust Muffler | 153. Horse and Mule Shoes |
| 113. Expanded Metal | 154. Hydraulic Jacks below 30 ton capacity |
| 114. Eyelets | 155. Insecticides Dust and Sprayers (Manual only) |
| 115. Film Polythene - including wide width film | 156. Invalid wheeled chairs. |
| 116. Film spools and cans | 157. Invertor domestic type upto 5 KVA |
| 117. Fire Extinguishers (wall type) | 158. Iron (dhobi) |
| 118. Foot Powder | 159. Key board wooden |
| 119. French polish | 160. Kit Boxes |
| 120. Funnels | 161. Kodali |
| 121. Fuse Cut outs | 162. Lace leather |
| 122. Fuse Unit | 163. Lamp holders |
| 123. Garments (excluding supply from Indian Ordnance Factories) | 164. Lamp signal |
| 124. Gas mantels | 165. Lanterns Posts and bodies |
| 125. Gauze cloth | 166. Lanyard |
| 126. Gauze surgical all types | 167. Latex foam sponge |
| 127. Ghamellas (Tasllas) | 168. Lathies |
| 128. Glass Ampules | 169. Letter Boxes |
| 129. Glass and Pressed Wares | 170. Lighting Arresters - upto 22 kv |
| 130. Glue | 171. Link Clip |
| 131. Grease Nipples and Grease guns | 172. Linseed Oil |
| 132. Gun cases | 173. Lint Plain |
| 133. Gun Metal Bushes | 174. Lockers |
| 134. Guntape | 175. Lubricators |
| 135. Hand drawn carts of all types | 176. L.T. Porcelain KITKAT and Fuse Grips |
| 136. Hand gloves of all types | 177. Machine Screws |
| 137. Hand Lamps Railways | 178. Magnesium Sulphate |
| 138. Hand numbering machine | 179. Mallet Wooden |
| | 180. Manhole covers |
| | 181. Measuring Tapes and Sticks |

- | | |
|--|--|
| 182. Metal clad switches (upto 30 Amps) | 223. PVC pipes upto 110 mm |
| 183. Metal Polish | 224. PVC Insulated Aluminium Cables (upto 120 sq. mm) (ISS:694) |
| 184. Metallic containers and drums other than N.E.C. (Not elsewhere classified) | 225. Quilts, Razais |
| 185. Metric weights | 226. Rags |
| 186. Microscope for normal medical use | 227. Railway Carriage light fittings |
| 187. Miniature bulbs (for torches only) | 228. Rakes Ballast |
| 188. M.S. Tie Bars | 229. Razors |
| 189. Nail Cutters | 230. RCC Pipes upto 1200 mm. dia |
| 190. Naphthalene Balls | 231. RCC Poles Prestressed |
| 191. Newar | 232. Rivets of all types |
| 192. Nickel Sulphate | 233. Rolling Shutters |
| 193. Nylon Stocking | 234. Roof light Fittings |
| 194. Nylon Tapes and Laces | 235. Rubber Balloons |
| 195. Oil Bound Distemper | 236. Rubber Cord |
| 196. Oil Stoves (Wick stoves only) | 237. Rubber Hoses (Unbranded) |
| 197. Pad locks of all types | 238. Rubber Tubing (Excluding braided tubing) |
| 198. Paint remover | 239. Rubberised Garments Cap and Caps etc |
| 199. Palma Rosa Oil | 240. Rust/Scale Removing composition |
| 200. Palmgur | 241. Safe meat and milk |
| 201. Pans Lavatory Flush | 242. Safety matches |
| 202. Paper conversion products- paper bags, envelopes, Ice-cream cup, paper cup and saucers and paper Plates | 243. Safety Pins (and other similar products like paper pins, staples pins etc.) |
| 203. Paper Tapes (Gummed) | 244. Sanitary Plumbing fittings |
| 204. Pappads | 245. Sanitary Towels |
| 205. Pickles and Chutney | 246. Scientific Laboratory glass wares (Barring sophisticated items) |
| 206. Piles fabric | 247. Scissors cutting (ordinary) |
| 207. Pillows | 248. Screws of all types including High Tensile |
| 208. Plaster of Paris | 249. Sheep skin all types |
| 209. Plastic Blow Moulded Containers upto 20 litre excluding Poly Ethylene Terphthalate (PET) Containers | 250. Shellac |
| 210. Plastic cane | 251. Shoe laces |
| 211. Playing Cards | 252. Shovels |
| 212. Plugs and Sockets electric upto 15 Amp | 253. Sign Boards painted |
| 213. Polythene bags | 254. Silk ribbon |
| 214. Polythene Pipes | 255. Silk Webbing |
| 215. Post Picket (Wooden) | 256. Skiboats and shoes |
| 216. Postal Lead seals | 257. Sluice Valves |
| 217. Potassium Nitrate | 258. Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones) |
| 218. Pouches | 259. Soap Carbolic |
| 219. Pressure Die Casting upto 0.75 kg | 260. Soap Curd |
| 220. Privy Pans | 261. Soap Liquid |
| 221. Pulley Wire | 262. Soap Soft |
| 222. PVC footwears | 263. Soap washing or laundry soap |
| | 264. Soap Yellow |
| | 265. Socket/pipes |

- | | |
|--|---|
| 266. Sodium Nitrate | 307. Transistor Radio upto 3 band |
| 267. Sodium Silicate | 308. Transistorised Insulation - Testers |
| 268. Sole leather | 309. Trays |
| 269. Spectacle frames | 310. Trays for postal use |
| 270. Spiked boot | 311. Trolley |
| 271. Sports shoes made out of leather (for all Sports games) | 312. Trollies - drinking water |
| 272. Squirrel Cage Induction Motors upto and including 100 KW440 volts 3 phase | 313. Tubular Poles |
| 273. Stapling machine | 314. Tyres and Tubes (Cycles) |
| 274. Steel Almirah | 315. Umbrellas |
| 275. Steel bedsstead | 316. Utensils all types |
| 276. Steel Chair | 317. Valves Metallic |
| 277. Steel desks | 318. Varnish Black Japan |
| 278. Steel racks/shelf | 319. Voltage Stabilisers including C.V.T's |
| 279. Steel stools | 320. Washers all types |
| 280. Steel trunks | 321. Water Proof Covers |
| 281. Steel wool | 322. Water Proof paper |
| 282. Steel and aluminium windows and ventilators | 323. Water tanks upto 15,000 litres capacity |
| 283. Stockinet | 324. Wax sealing |
| 284. Stone and stone quarry rollers | 325. Waxed paper |
| 285. Stoneware jars | 326. Weighing Scale |
| 286. Stranded Wire | 327. Welded Wiremesh |
| 287. Street light fittings | 328. Wheel barrows |
| 288. Student Microscope | 329. Whistle |
| 289. Studs (excluding high tensile) | 330. Wicks cotton |
| 290. Surgical Gloves (Except Plastic) | 331. Wing Shield Wipers (Arms and Blades only) |
| 291. Table knives (Excluding Cutlery) | 332. Wire brushes and Fibre Brushes |
| 292. Tack Metallic | 333. Wire Fencing and Fittings |
| 293. Taps | 334. Wire nails and Horse shoe nails |
| 294. Tarpaulins | 335. Wire nettings of gauze thicker than 100 mesh size |
| 295. Teak fabricated round blocks | 336. Wood Wool |
| 296. Tent Poles | 337. Wooden ammunition boxes |
| 297. Tentage Civil/Military and Salitah Jute for Tentage | 338. Wooden Boards |
| 298. Textiles manufactures other than N.E.C. (not elsewhere classified) | 339. Wooden Box for Stamps |
| 299. Tiles | 340. Wooden Boxes and Cases N.E.C. (Not elsewhere classified) |
| 300. Tin Boxes for postage stamp | 341. Wooden Chairs |
| 301. Tin can unprinted upto 4 gallons capacity (other than can O.T.S.) | 342. Wooden Flush Door Shutters |
| 302. Tin Mess | 343. Wooden packing cases all sizes |
| 303. Tip Boots | 344. Wooden pins |
| 304. Toggle Switches | 345. Wooden plugs |
| 305. Toilet Rolls | 346. Wooden shelves |
| 306. Transformer type welding sets conforming to IS:1291/75 (upto 600 amps) | 347. Wooden veneers |
| | 348. Woollen hosiery |
| | 349. Zinc Sulphate |
| | 350. Zip Fasteners |

HANDICRAFT ITEMS		
Sl.No.	Item Description	Source of Supply
351	Cane furniture Handlooms	North Eastern Handicrafts and Development Corporation Assam Govt. Marketing Corpn. Craft Society of Manipur Nagaland Handicrafts and Handlooms Development Corpn.
352.	Bamboo file tray, Baskets, Pencil stand, side racks etc.	-do-
353.	Artistic Wooden Furniture	Rajasthan Small Industries Corpn., U.P. Export Corporation.
354.	Wooden paper weight, racks etc.	-do-
355.	Glass covers made and grass jute of wood	-do-
356.	Jute furniture	West Bengal Handicrafts Dev. Corpn. Jute Mfg. Development Corporation Orissa State Handicrafts Dev. Corpn.
357.	Jute bags, file cover	-do-
358.	Woolen and silk carpets	U.P. Export Corporation JandK Sale and Export Corporation

5

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

No: 2010/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 5.7.2012

3372
2422.
The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).
The General Manager, CORE, Allahabad.
The General Manager, Metro Railway, Kolkata.
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.
CAO/Workshop Projects organization, 1st Floor, Chamber Bhawan, JC Road, Patna-800001.
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.
CAO/RCF/RBL, Old TA Building, Kishanganj, Delhi,
MD/All Railway PSUs, KRCL, MRVC
CAO/All autonomous entity under Ministry of Railways

Sub: Public Procurement Policy for goods produced and services rendered by Micro and Small Enterprises (MSEs) by Central Ministries/Departments/Public Sector Undertakings (PSUs).

In exercise of the powers conferred on it in Section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Central Government, by Order, notified the Public Procurement Policy in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries, Departments and Public Sector Undertakings. The copy of notification No.503 dated 23.3.2012, as printed in the Gazette of India, is enclosed for guidance and compliance.

- 1.1 The Public Procurement Policy rests upon the core principles of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of orders for supply of goods or services in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective.
- 1.2 The Policy envisages extending certain benefits/preferential treatment to MSEs and making efforts for development of appropriate vendors and enhancement of their participation in government procurements. In order to avail themselves of such benefits and preferential treatment, the MSEs must be registered with any of the following:-

- (i) District Industries Centers
- (ii) Khadi and Village Industries Commission
- (iii) Khadi and Village Industries Board
- (iv) Coir Board
- (v) National Small Industries Corporation
- (vi) Directorate of Handicraft and Handloom
- (vii) Any other body specified by Ministry of MSME

** 2**

2. In pursuance of the Public Procurement Policy on MSE, it has been decided that :-

- (i) Tender sets shall be provided free of cost to MSEs registered with the above agencies for the item tendered.
- (ii) MSEs registered with the above agencies for the item tendered will be exempted from payment of Earnest Money.
- (iii) In tenders, participating MSEs quoting a price within price band of L1+15% shall be allowed to supply a portion of the requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a MSE and such MSEs can be together ordered upto 20% of the total tendered value.
- (iv) Every central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20 %, of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and Small Enterprises in a period of three years. After a period of three years i.e. from 01-04-2015, overall procurement goal of minimum 20 % shall be mandatory. Annual goal of procurement also include subcontracts to Micro and Small Enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation. 20% out of this 20% (i.e., overall 4%) of procurement of goods and services will be from MSEs owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes (SC/ST) entrepreneurs. In the event of failure of such MSEs to participate in the tender process or meet tender requirements and L1 price, 4% sub-target of procurement earmarked from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs shall be met from other MSEs .
- (v) Ministries or Departments or PSUs shall continue to procure 358 items (Appendix to the Notification) from Micro and Small enterprises, which have been reserved for exclusive purchase from them.

2.1 While computing the overall achievement against the 20% goal, the computation shall also include the procurement and sub-contract made from MSEs by

- (a) large scale vendors of Railway units and
- (b) consortia of MSEs (as vendors to Rly. Units) formed by NSIC.

3. In order to extend the benefit/preferential treatment to eligible MSEs, suitable conditions may be included in the bid document as indicated below:-

- (a) "Para 2(i) to 2(iii) above".
- (b) (I) "MSEs who are interested in availing themselves of these benefits will enclose with their offer the proof of their being MSE

** 3 **

registered with any of the agencies mentioned in the notification of Ministry of MSME indicated below:

- (i) District Industries Centers
- (ii) Khadi and Village Industries Commission
- (iii) Khadi and Village Industries Board
- (iv) Coir Board
- (v) National Small Industries Corporation
- (vi) Directorate of Handicraft and Handloom
- (vii) Any other body specified by Ministry of MSME.

(II) The MSEs must also indicate the terminal validity date of their registration.

Failing (I) & (II) above, such offers will not be liable for consideration of benefits detailed in MSE notification of Government of India dated 23.3.12".

4. Further, in order that the required information as desired by the MSE policy is effectively tapped, all vendor approving/registering units are hereby directed to immediately seek the following information from the vendors approved/registered by them and incorporate in their database-

(a) Category of vendors as below:-

- (i) Micro Enterprises
- (ii) Small Enterprises

(b) Each of the above categories must further be sub-classified under the following categories:-

- (i) Enterprises owned by Scheduled Castes.
- (ii) Enterprises owned by Scheduled Tribes.
- (iii) Enterprise owned by other than above two categories.

(c) For a vendor to get classified as a Micro Enterprise and Small Enterprise, the vendor must submit documentary proof of being registered with any of the agencies indicated in para 1.2 and also the terminal date of validity of the registration:

5. Railways shall capture and report the data of procurement from MSEs (indicating separately the value of procurement from MSEs owned by SC/ST) to Railway Board at the end of each financial year along with the annual figures. The value of procurement from MSEs will include the direct procurement from MSEs plus the sub-contracting given by large scale vendors/consortia of MSEs to their MSE sub-contractors (as indicated in Para 2.1 above).

6. This supersedes the existing policy of price preference and benefits to Small Scale Industries being followed till now.

** 4 **

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

Please acknowledge receipt.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 2010/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 5.7.2012

Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. PCEs, All Indian Railways & Production Units, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. CMEs , CEEs, CSTEs , All Indian Railways & Production Unit, WPO/Patna, RCF/RBL.
4. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
5. The Director of Audit, All Indian Railways.

AsM

for Financial Commissioner / Railways

No: 2010/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 5.7.2012

Copy to:

1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C).
2. The COS, Metro Railway, Kolkata.
3. The COS, COFMOW, New Delhi.
4. The COS, CORE, Allahabad.
5. The COS, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai-400614.
6. The COS, Mumbai Rail Vikas Corporation, 2nd Floor, Church Gate station Building, Mumbai-400020.
7. CMM/RCF/RBL, Kishanganj, Delhi,
8. COS, Workshops Project Organisation, Patna
9. The Directors-
 - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad.
 - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur.
 - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik.
 - d. Sr.Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara.
 - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune.
 - f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
10. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.
11. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata.
12. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow.
13. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
14. ED(QA)/RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurgaon, Haryana.
15. CPM, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.
16. GM(Procurement System), CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 2010/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 5.7.2012

Copy to :

1. The General Secretary , AIRF, 4 State Entry Road , New Delhi.
2. The General Secretary , NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)

Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to

- (i) MR, MOS(R)(B), MOS(R)(M)
- (ii) CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
- (iii) All AMs and Advisors of Railway Board.
- (iv) All Executive Directors of Railway Board
- (v) All Directors of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte. &
- (vi) All Branches of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.